संख्या–0157/26–ब0प्र0–2010–100(42)/2010

प्रेषक,

बी0बी0 सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण लखनऊ दिनांक : 25 नवम्बर,, 2011

विषय: केन्द्र वित्त पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–81 के अन्तर्गत केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपके पत्र संख्या–5/1298/10–5/36(2)/2011, दिनांक 19 अक्टूबर, 2011 एवं वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–901/दस–2010–231/10, दिनांक 21–03–2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–81 के उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रु0–22.50 लाख में से राज्यॉश के मद में रु0–11.24 लाख (रुपया ग्यारह लाख चौबीस हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो एंव प्रतिबन्धों के अधीन जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–901/दस–2010–231/11, दिनांक 21–3–2011 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि/जनपद वार आवंटित केन्द्रांश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि को निर्धारित शर्तो, प्रतिबन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा।

(3) उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनैनशियल हैण्डबुक के नियमो तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(4) प्रश्नगत धनराशि एस0सी0एस0पी0/एस0टी0पी0 राज्यांश के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष उसी सीमा तक व्यय की जाएगी जिस सीमा तक एस0सी0 लाभार्थियों हेतु एस0सी0एस0पी0 राज्यांश अनुमन्य होगा। केन्द्राशं प्राप्त हो जाने पर भी राज्यांश का आहरण/व्यय किया जाएगा।

(5) इस संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनाएँ परीक्षण/सत्यापन हेतु समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

(6) उक्त धनराशि का व्यय एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देश के अनुसार किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन हेतु समय–समय पर निर्गत मार्ग निर्देशों के अनुरुप किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का व्यय वर्ष 2010–11 में चयनित डा0 अम्बेडकर ग्राम सभाओं में ही किया जायेगा।

(7) जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा बिल जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित/अनुमति प्राप्त करके धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(8) उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–81 के लेखाशीर्षक–"2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम– 796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0101–ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु अनुदान (जिला योजना) भारत सरकार की सहायता राज्यांश–20–सहायक अनुदान सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जाएगा।

(9) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सीए–934/दस–2008–मित–1/2007, दिनांक 2–9–2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(10) निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0–13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशो द्वारा विनियमित होगी।

(11) आवंटित धनराशि को कोषागार से आहरण की फेजिंग इस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी कि सामान्यतः दो माह की आवश्यकता से अधिक धनराशि एक मुश्त आहरित नहीं की जाएगी।

(12) उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के कियान्वयन हेतु समय–समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों के अनुरुप किया जाएगा।

2– आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–ई–3–2114/दस–2011 दिनांक 22 नवम्बर,2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(बी0बी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हक़दारी), इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3– संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
4– अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ।
5– एन0आई0सी0 की प्रति।
6– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/वित्त (बजट) अनु0–2।
7– बजट प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शशि कमल गोस्वामी)
अनु सचिव।

अनुदान संख्या–81 (धनराशि लाख रूपयें में)

क्र.सं.	जनपद का नाम	भारत सरकार के पत्र संख्याः डब्लू–11023/01/2011–सी.आर.एस.पी. दिनांक 28 जून, 2011 द्वारा अनुसूचित जनजाति हेतु अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष स्वीकृत राज्यांश की धनराशि
1	2	3	4
36	झांसी	0.02	0.01
37	ज्योतिबाफुले नगर	0	0.00
38	कन्नौज	0	0.00
39	कानपुर देहात	0.09	0.04
40	कानपुर नगर	0.84	0.36
41	कांशीरामनगर	0	0.00
42	कौशाम्बी	0	0.00
43	कुशीनगर	2.09	0.91
44	लखीमपुर खीरी	1.28	0.55
45	ललितपुर	0	0.00
46	लखनऊ	0.26	0.11
47	माहामायानगर (हाथरस)	0.23	0.10
48	महाराजगंज	0.24	0.10
49	महोबा	0.23	0.10
50	मैनपुरी	0.24	0.10
51	मथुरा	0.39	0.17
52	मऊ	0.52	0.23
53	मेरठ	0	0.00
54	मिर्ज़ापुर	0.42	0.18
55	मुरादाबाद	0	0.00
56	मुजफ्फरनगर	0	0.00
57	पीलीभीत	0.27	0.12
58	प्रतापगढ़	0.09	0.04
59	रायबरेली	1.19	0.52
60	रामपुर	0.32	0.14
61	सहारनपुर	0.1	0.04
62	संतकबीरनगर	0.54	0.23
63	संतरविदासनगर	0.6	0.26
64	शाहजहापुर	0	0.00
65	श्रावस्ती	0.91	0.39
66	सिद्धार्थनगर	0.84	0.36
67	सीतोपुर	1.29	0.56
68	सोनभद्र	0.04	0.02
69	सुलतानपुर	0.42	0.18
70	उन्नाव	0.23	0.10
71	वाराणसी	0.46	0.20
	प्रदेश का योग–	25.96	11.24

(रु० ग्यारह लाख चौबीस हजार मात्र)

आज्ञापत्र संख्या-815/26-का0 50-2011-100(16)/2011, दि0 21 अक्टूबर, 2011 का संलग्नक

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुसूचित जनजातियों हेतु राज्यांश की स्वीकृति

अनुदान संख्या–81 (धनराशि लाख रूपयें में)

क्र.सं.	जनपद का नाम	भारत सरकार के पत्र संख्या: डब्लू–11023/01/2011–सी.आर.एस.पी. दिनांक 28 जून, 2011 द्वारा अनुसूचित जनजाति हेतु अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष स्वीकृत राज्यांश की धनराशि
1	2	3	4
1	आगरा	0.34	0.15
2	अलीगढ़	0.26	0.11
3	इलाहाबाद	0	0.00
4	अम्बेडकर नगर	0.52	0.23
5	औरैया	0.2	0.09
6	आजमगढ़	0.39	0.17
7	बागपत	0.08	0.03
8	बहराइच	3.72	1.60
9	बलिया	0.57	0.25
10	बलरामपुर	0.25	0.11
11	बांदा	0	0.00
12	बाराबंकी	0.22	0.10
13	बरेली	0	0.00
14	बस्ती	0.47	0.20
15	बिजनौर	0.2	0.09
16	बदायूँ	0.01	0.00
17	बुलन्दशहर	0	0.00
18	चन्दौली	0.09	0.04
19	चित्रकूट	0	0.00
20	देवरिया	1.29	0.56
21	एटा	0	0.00
22	इटावा	0	0.00
23	फैजाबाद	0.11	0.05
24	फर्रूखाबाद	0	0.00
25	फतेहपुर	0.34	0.15
26	फिरोजाबाद	0	0.00
27	गौतमबुद्धनगर	0.14	0.06
28	गाजियाबाद	0	0.00
29	गाजीपुर	0.46	0.20
30	गोण्डा	0.39	0.17
31	गोरखपुर	0.42	0.18
32	हमीरपुर	0	0.00
33	हरदोई	0.78	0.34
34	जालौन	0	0.00
35	जौनपुर	0.56	0.24